

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांक:-P.11(08)RPA/Trg/New Criminal/2024/3289

दिनांक:- 01-12-2025

--::कार्यालय आदेश::--

प्रशिक्षण निदेशालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक 4518 दिनांक 28.11.2025 की पालना में राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में नवीन आपराधिक विधियों-2023 विषय के संबंध में "रिफ्रेशर कोर्स" दिनांक 03.12.2025 से 05.12.2025, 15.12.2025 से 17.12.2025, 22.12.2025 से 24.12.2025, 05.01.2026 से 07.01.2026, 15.01.2026 से 17.01.2026 एवं 19.01.2026 से 21.01.2026 तक 03 दिवसीय कोर्स (06 कोर्सेज) पुलिस निरीक्षक से उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। निर्देशानुसार श्री पूनम चन्द विश्वा, (एसआईसी) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के सुपरवीजन में उक्त कोर्स आयोजित करवाया जावेगा।

1. श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर को कोर्स डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है।
2. श्रीमती नीतू सिंह कानि0 69 को कम्प्यूटर कार्य के लिये नियुक्त किया जाता है।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त सहायक निदेशक गण, आरपीए, जयपुर।
2. पुलिस उप अधीक्षक (आउटडोर), आरपीए, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, आरपीए, जयपुर।
4. संचित निरीक्षक (प्रशासन), आरपीए, जयपुर।
5. श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर, कोर्स डायरेक्टर को भेजकर लेख है कि उक्त कोर्स में समस्त सामग्री हेतु कोर्स संचालन से पहले कार्य स्वीकृति ली जाकर एक प्रति प्रशिक्षण शाखा में भिजवाये, ताकि कोर्स होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा सके एवं कोर्स रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात् आरपीए की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रोग्रामर को उपलब्ध करावे साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूल में आमंत्रित अतिथि वक्ताओं के नाम प्रमाणित कर व भुगतान हेतु बैंक विवरण सहित प्रशिक्षण शाखा को उपलब्ध करावे।
6. निजी सहायक, निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक/उप महानिरीक्षक, आरपीए, जयपुर।
7. श्रीमती नीतू सिंह कानि0 69 को कम्प्यूटर कार्य के लिये नियुक्त किया जाता है।
8. प्रभारी, सामान्य शाखा, आरपीए, जयपुर।
9. प्रभारी, मनुसदन/मरुधर सदन/कौटिल्य सदन/गंगा हॉस्टल आरपीए, जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

श्री,
दमी,